न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. सत्यवीर यादव,
आर.ए.एस

निगरानी संख्या :– 6/2016

श्रीमती गुड्डी देवी पत्नी गोपीराम उम्र वयस्क जाति माली निवासी नाथावाला तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

निगरानीकर्त्ता

बनाम

ग्राम पंचायत नाथावाला जरिये सरपंच ग्राम पंचायत नाथावाला पंचायत समिति शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

गैर निगरानीकार

निगरानी प्रार्थना–पत्र विरूद्व निर्णय दिनांक 28/11/2014 पंचायत समिति शाहपुरा जिला जयपुर जिसके द्वारा निगरानीकर्त्ता के पक्ष में ग्राम पंचायत नाथावाला द्वारा जारी पट्टा संख्या 10 दिनांक 22/11/2007 निरस्त किया गया है।

निर्णय *दिनांक* 17.1.2020

निगरानीकार पंचायत समिति शाहपुरा जिला जयपुर के निर्णय 28/11/2014 से व्यथित होकर उक्त आदेश के विरूद्व निगरानी पेश की है, जो निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी के संक्षेप में बिन्दुवार सारगर्भित तथ्य निम्नभांति पेश किये हैं :–

1. यह है कि निगरानीकर्त्ता एवं उसका परिवार अन्य पिछडा वर्ग के गरीब व असहाय सदस्य रहे है, निगरानीकर्त्ता को ग्राम पंचायत ने दिनांक 22/11/2007 को संकल्प संख्या 7 द्वारा 1520/– रूपये रियायसी शुल्क लेकर 150 वर्गगज आबादी भूमि आवंटन कर पट्टासंख्या 10 जारी किया गया । उक्त आवासीय भू–खण्ड पर निगरानीकर्त्ता का आवंटन के समय से कब्जा चला आ रहा है। रिहायश के लिए छप्पर आदि बना रखे है तथा पक्का निर्माण करने के लिए पत्थर आदि डलवा रखे है। निगरानीकर्त्ता उक्त आवंटित भूमि पर आवंटन के समय से ही काबिज रहकर अपने उपयोग उपभोग में लेती आ रही है। उक्त पट्टा विलेख का ग्राम पंचायत नाथावाला ने सर्व सम्मति से दिनांक 20/10/2009 को प्रस्ताव संख्या 2 (ii) द्वारा नवीनीकरण किया गया है। सरपंच व सचिव उक्त पट्टा विलेख का दिनांक 28/10/2009 को निगरानीकर्त्ता के पक्ष में उपपंजीयक कार्यालय शाहपुरा में पंजीयन भी कराया है। ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच द्वारा राजनैतिक व वैमनस्यता के कारण निगरानीकर्त्ता को बिना सुनवायी का अवसर प्रदान किये ग्राम सभा की बैठक 20/8/2014 के प्रस्ताव संख्या 5 द्वारा निगरानीकर्त्ता के पक्ष में जारी किया गया पट्टा को निरस्त करने की अभिशंषा की जिसके आधार पर पंचायत समिति शाहपुरा की प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति द्वारा निगरानीकर्त्ता को सुनवायी का अवसर प्रदान किये बिना निगरानीकर्त्ता के पक्ष में जारी किया गया पट्टा संख्या 10 दिनांक 22/11/2007 को दिनांक 28/11/2014 के द्वारा निरस्त

फरमा दिया गया है। पंचायत समिति शाहपुरा जिला जयपुर के निर्णय 28/11/2014 से व्यथित होकर धारा 97 पंचायत राज अधिनियम के तहत निगरानी पेश की है।

2. यह है कि ग्राम पंचायत ने अभिशंषा करने से पूर्व तथा पंचायत समिति शाहपुरा द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व निगरानीकर्त्ता को सुनवायी का अवसर प्रदान नहीं किया है, जिससे न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों का उल्लंघन है।

3. यह है कि निगरानीकर्त्ता को आवंटन के समय से ही आवंटित भू-खण्ड पर लगातार कब्जा रहा है तथा उक्त भू-खण्ड को अपने उपयोग उपभोग में लेती आ रही है पक्का निर्माण हेतु निगरानीकर्त्ता ने पत्थर आदि डाल रखे है, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उक्त भू-खण्ड पर छप्पर पोश की जगह पक्का निर्माण नहीं कर सकी आज भी गिरानीकर्ता मौके पर काबिज है किन्तु अधिनस्थ ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति द्वारा उक्त भू-खण्ड का मौका निरीक्षण किये बिना तथा बिना जांच रिपोर्ट प्राप्त किये निगरानीधीन निर्णय दिनांक 28/11/2014 पारित कर पट्टा संख्या 10 दिनांक 22/11/2007 को निरस्त फरमा दिया।

4. यह है कि पंचायत राज अधिनियम 158 के प्रावधानों के मुताबिक निगरानीकर्त्ता को 150 वर्गगज का भू-खण्ड रियायती दर 1520/- रूपये पर आवंटित कर पट्टा विलेख दिनांक 22/11/2007 प्रस्ताव संख्या 7 की पालना में जारी किया है। इस प्रकार रियायती दर पर जारी विक्रय विलेख में आवंटित भू-खण्ड पर पक्का निर्माण दो वर्ष में करने की कोई शर्त नहीं है तथा कोई प्रावधान भी नहीं है। पट्टा विलेख का सक्षम सिविल न्यायालय में शुन्य एवं अवैध कराये बिना अधिनस्थ न्यायालय पंचायत समिति शाहपुरा को पट्टा निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है।

5. यह है कि निगरानीकर्त्ता को निर्णय दिनांक 28/11/2017 की 16/01/2016 से पूर्व कोई जानकारी नहीं थी। पट्टा विलेख पर निर्माण स्वीकती लेने सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने गया तब सचिव से पंचायत समिति द्वारा पट्टे की निरस्त करने की जानकारी हुयी। इस पर निगरानीकर्त्ता ने दिनांक 18/01/2016 को निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त की इससे पूर्व निगरानीकर्त्ता को कोई जानकारी नहीं थी देरी को कन्डोन कराने के लिए निगरानीकर्त्ता ने अलग से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र पेश किया है।

6. यह है कि पंचायत समिति द्वारा पारित निर्णय के विरूद्व निगरानीकर्त्ता प्रार्थना-पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। अतः निगरानी प्रार्थना-पत्र उचित कोर्ट फीस पर पेश कर निवेदन है कि निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय पंचायत समिति शाहपुरा जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 28/11/2014 निगरानीकर्त्ता के पट्टा विलेख संख्या 10 दिनांक 22/11/2007 की हद तक अपास्त फरमावये जाने की कृपा करें।

7. निगरानीकर्त्ता द्वारा जरिये वकील निगरानी पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता करायी गयी, रिपोर्ट समाप्त पायी जाने पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर निगरानीकर्त्ता की ओर श्री परसराम जाट उपस्थित होकर अन्डर टैकिंग दी गयी, प्रकरण में गैर निगरानीकर्त्ता की ओर से वकालतनामा पेश नहीं होने पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

8. बहस सुनी गयी । वकील निगरानीकर्त्ता द्वारा अपनी अहस में अभिकथन किया है कि ग्राम पंचायत नाथावाला द्वारा दिनांक 22/11/2007 को निगरानीकर्त्ता गुड्डी देवी को संकल्प संख्या 7 द्वारा 1520/– रू. रियायती शुल्क लेकर 150 वर्गगज भूमि का आवंटन कर पट्टा संख्या 10 जारी किया गया उक्त भू–खण्ड पर निगरानीकर्त्ता का आवंटन के पश्चात् से ही कब्जा चला आ रहा है। उक्त भू–खण्ड में छप्पर पोश आदि बना रखे है तथा पक्का निर्माण के लिए पत्थर आदि डलवा रखे है। निगरानीकर्त्ता उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करती आ रही है। ग्राम पंचायत नाथावाला के तत्कालीन सरपंच द्वारा राजनैतिक वैमनस्यता के कारण ग्राम सभा की बैठक 22/8/2014 के प्रस्ताव संख्या 5 द्वारा निगरानीकर्त्ता के पक्ष में जारी पट्टा विलेख को निरस्त किये जाने की अभिशंषा की जिसके आधार पर पंचायत समिति शाहपुरा की प्रशासन स्थापना स्थायी समिति शाहपुरा द्वारा निगरानीकर्त्ता को बिना सुने अपने निर्णय 28/11/2014 के द्वारा जारी पट्टा संख्या 10 दिनांक 22/11/2007 निरस्त फरमा दिया जबकि ग्राम पंचायत नाथावाला एवं पंचायत समिति शाहपुरा द्वारा पट्टे को निरस्त करने से पूर्व निगरानीकर्त्ता को सुनवायी का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था। इससे स्पष्ट होता है कि न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों का उल्लघंन किया है। ग्राम पंचायत नाथावाला के प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 20/8/2014 की अभिशंषा के आधार पर पंचायत समिति शाहपुरा की स्थापना समिति द्वारा ग्राम पंचायत नाथावाला द्वारा जारी पट्टा संख्या 10 दिनांक 22/11/2007 को बिना मौका देखे एवं बिना मौका की जांच किये निरीक्षण किये दिनांक 28/11/2014 को निरस्त किया है, जबकि भू–खण्ड में निर्माण हेतु पत्थर डलवा रखे है तथा छप्पर पोश बनाकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। उक्त भू–खण्ड के आवंटन होने के उपरान्त से ही निगरानीकर्त्ता का कब्जा चला आ रहा है। निगरानीकर्त्ता के पक्ष में जारी पट्टा को निरस्त करने का अधिनस्थ न्यायालय को कोई अधिकार नहीं था जब तक पट्टा विलेख को सक्षम सिविल न्यायालय से शून्य एवं अवैध घोषित कराये बिना पट्टा निरस्त करने का अधिकार पंचायत समिति शाहपुरा को नहीं था। पंचायत समिति शाहपुरा की स्थापना एवं स्थायी समिति द्वारा पारित निर्णय 28/11/2014 की जानकारी निगरानीकर्त्ता को नहीं थी। निगरानीकर्त्ता निर्माण सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करने गयी तब पट्टा निरस्त होने की जानकारी प्राप्त हुयी दिनांक 18/01/2016 को नकल प्राप्त कर देरी को कन्डोन कराने के लिए दफा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र निगरानी के संलग्न कर निगरानी पेश की है। तत्कालीन सरपंच ग्रा.पं. नाथावाला द्वारा वैमनस्यता के कारण तथा पंचायत समिति शाहपुरा के स्थापना स्थाई समिति द्वारा बिना मौका की जांच किए एवं बिना निरीक्षण किये निगरानीकर्त्ता का मौका पर कब्जा होते हुए भी उक्त भू–खण्ड को उपयोग उपभोग में लेते आ रहे होने के पश्चात् भी उक्त पट्टा विलेख संख्या 10 जो निगरानीकर्त्ता के हक में जारी हुआ था, को दिनांक 28/11/2014 को निरस्त किया है जो न्यायोचित नहीं है जब तक सक्षम सिविल न्यायालय से उक्त पट्टे को शून्य एवं अवैध घोषित नहीं कराया जाता तब तक निगरानीकर्त्ता को उक्त भू–खण्ड से बेदखल एवं पट्टा निरस्त नहीं किया जा सकता है जबकि पंचायत राज अधिनियम 158 के तहत् 150 वर्गगज का भू–खण्ड रियायती दर पर 1520/– रूपये प्राप्त कर भू–खण्ड आवंटित कर पट्टा जारी किया है। रियायती दर पर पट्टा जारी होने पर

निर्माण उक्त भू–खण्ड में दो वर्ष में करने का कोई प्रावधान एवं शर्त नहीं है इसके बावजूद भी निगरानीकर्त्ता के पक्ष में जारी किया गया पट्टा विलेख संख्या 10 निरस्त किया है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लघंन किया है। अतः निगरानीकर्त्ता की निगरानी स्वीकार फरमायी जावें तथा अधिनस्थ न्यायालय पंचायत समिति शाहपुरा का निर्णय 28/11/2014 निगरानीकर्त्ता के हक में जारी पट्टा संख्या 10 दिनांक 22/11/2007 की हद तक अपास्त फरमावें।

9. वकील निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत की गयी बहस को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् साक्ष्य एवं सबूतों का अवलोकन किया गया तथ निगरानीकर्त्ता के वकील द्वारा प्रस्तुत बहस पर गोर कर मनन किया तो पाया कि ग्राम पंचायत नाथावाला पंचायत समिति शाहपुरा जिला जयपुर द्वारा पंचायत राज अधिनियम 158 के अनुसरण में 1520/– रू. रसीद संख्या 60/16–9–2008 के द्वारा जमाकर संकल्प संख्या 7 दिनांक 22/11/2007 को पट्टा संख्या 10 निगरानीकर्त्ता के हक में 150 वर्गगज भू–खण्ड का पट्टा जारी होना पाया गया। ग्राम पंचायत नाथावाला द्वारा निगरानीकर्त्ता को 1520/– रू. शुल्क जमा कर पट्टा जारी कर दिया उसके उपरान्त ग्राम पंचायत नाथावाला द्वारा ग्राम सभ की बैठक 20/8/2014 को प्रस्ताव संख्या 5 में उक्त पट्टा संख्या 10 को निरस्त करने की अभिशंषा की गयी जो न्यायोचित नहीं है जबकि वकील निगरानीकर्त्ता ने अपनी बहस में जाहिर किया है कि उक्त भू–खण्ड आवंटन होने के पश्चात् से निगरानीकर्त्ता का कब्जा रहा है, जिसमें खाम पोश बना रखा है तथा निर्माण हेतु पत्थर आदि डाल रखे है। निगरानीकर्त्ता शुरू से ही उक्त भू–खण्ड का उपयोग उपभोग करती आ रही है। उक्त पट्टे को निरस्त करने की अभिशंषा से पूर्व निगरानीकर्त्ता को सुनवायी का कोई अवसर प्रदान नहीं किया इसलिए उक्त अभिशंषा कार्यवाही शुन्य एवं बेअसर है। इसके अलावा वकील निगरानीकर्त्ता द्वारा अपनी बहस में यह भी कथन किया है कि जब पंचायत राज अधिनियम 158 के तहत् निगरानीकर्त्ता को रियायती दर पर 1520/– रू. जमा कर पट्टा जारी कर दिया उक्त भू–खण्ड में दो वर्ष में पक्का निर्माण कराया जाना कोई प्रावधान एवं शर्त निर्धारित नहीं है फिर भी निगरानीकर्त्ता के हक में जारी किया गया पट्टा संख्या 10 को निरस्त कराने की ग्राम पंचायत नाथावाला द्वारा अभिशंषा की है, वो न्यायोचित एवं विधि सम्मत नहीं है। चूँकि पंचायत समिति की प्रशासन स्थापना एवं स्थायी समिति शाहपुरा की बैठक में दिनांक 28/11/2014 को ग्राम पंचायत नाथावाला की पत्रावलियां पट्टा धारकों को नियम 158 के अन्तर्गत जारी पट्टो की शर्त पूरी नहीं किये जाने के कारण ग्राम सभा की बैठक 20/8/2014 के प्रस्ताव संख्या 5 मे पट्टो को निरस्त करने की अभिशंषा करने पर पेश हुयी। बैठक मे उपस्थित सदस्यों द्वारा पंचायत राज अधिनियम 158 के तहत् जारी पट्टों को निरस्त कर दिया गया, जबकि निगरानीकर्त्ताद्वारा उक्त पट्टा प्राप्त करने में रियायती शुल्क 1520/– रू जमा कराया है। निर्माण हेतु मौके पर पत्थर डलवा रखे है। खाम पोश बनाकर उक्त भू–खण्ड उपयोग उपभोग निगरानीकर्त्ता द्वारा करना वकील निगरानीकर्त्ता ने अपनी बहस में अभिकथन किया है। निगरानीकर्त्ता को बिना सुनवायी का अवसर प्रदान किये मात्र ग्राम पचायत नाथावाला की अभिशंषा दिनांक 20/8/2014 प्रस्ताव दफा–5 के आधार पर ही उक्त पट्टे बाबत साक्ष्य

सबूत प्राप्त किये बिना ही उक्त पट्टा को ग्राम पंचायत नाथावाला द्वारा निरस्त करने की अभिशंषा की गयी है, जबकि उक्त भू–खण्ड पर निगरानीकर्त्ता का शुरू से ही आवंटन पश्चात् से ही कब्जा रहा है। पत्थर आदि निर्माण हेतु डाल रखे है तथा मौके पर खामपोश बनाकर उपयोग उपभोग करती आ रही है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय नियमों के विरूद्व जाकर बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये निगरानीकर्त्ता के हक में जारी किया गया पट्टा संख्या 10 खारिज किया है वह न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरीत है। इसलिए निगरानीकर्त्ता की निगरानी स्वीकार किया जाना विधि सम्मत एवं न्यायोचित प्रतीत होती है।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत की गयी निगरानी स्वीकार की जाकर पंचायत समिति शाहपुरा की प्रशासन एवं स्थायी समिति द्वारा पारित आदेश 28/11/2014 बाबत पट्टा संख्या 10 दिनांक 22/11/2007 द्वारा ग्राम पंचायत नाथावाला की हद तक अपास्त किया जाता है तथा निगरानीकर्त्ता के पक्ष में ग्राम पंचायत नाथावाला पंचायत समिति शाहपुरा (जयपुर) द्वारा जारी पट्टा संख्या 10 दिनांक 22/11/2007 को बहाल रखे जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। उक्त आशय की निर्णय की प्रति तहरीर के साथ भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों ।

11. यह निर्णय आज दिनांक 17.1.20 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)